तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
.2.26	वकील बादी / प्रतिवादी / प्रार्थी / अप्रार्थी उप. पत्रावली गत आदेशानुसार वास्ते ...तलबी हेतु अंतिम अवसर दिनांक ...25.3.26... को पेश हो।	
25-3-26	वकील बादी / प्रतिवादी / प्रार्थी / अप्रार्थी उप. पत्रावली गत आदेशानुसार वास्ते ...तलबी हेतु अंतिम अंतिम अवसर दिनांक ...10.3.26... को पेश हो।	
10-3-26	वकील बादी / प्रतिवादी / प्रार्थी / अप्रार्थी उप. पत्रावली गत आदेशानुसार वास्ते ...तलबी हेतु अंतिम अंतिम अवसर दिनांक 18.3.26 को पेश हो।	
18-3-26	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने प्रति वादी के समन पेश किये जिन्हें जारी किया गया। पत्रावली वास्ते तलबी हेतु अंतिम अवसर दिनांक 30.3.26 को पेश हो।	
30/3/26	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अवकाश पर दिनांक 15/4/26 को पेश हो।	
15-4-26	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने प्रति. सं. 1 के समन व डाक की रसीदें पेश की जिन्हें शामिल मिसल किया गया। पत्रावली वास्ते तलबी हेतु दिनांक 27.5.26 को पेश हो।	
27-5-26	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने "वादीगण दावा चलाना नहीं चाहते है" अंकित कर पत्रावली को इसी स्टेज पर खारिज किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील वादीगण के निवेदन को स्वीकार किया जाता है। पत्रावली को इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नंबर से कम हो जाकर दाखिल दफ्तर हो। पुनश्च:- पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वादीगण द्वारा फर्द अहकाम पर "दावा आगे नहीं चलाने का" तथ्य अंकित किया गया। CPC 023R1 के तहत वादी स्वयं मुकदमा वापिस लेना	वादीगण दावा नहीं चलाना चाहते हैं। द. [illegible] 27/5/26 द्वारा वकील पहचान कर्ता

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज
	चाहता है इसीलिए उसे मुकदमा जारी रखने हेतु मजबूर नहीं किया जा सकता। अत: वादी को वाद वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाती है। वादी की ओर से नया वाद प्रस्तुत करने की कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही न्यायालय द्वारा ऐसी कोई अनुमति प्रदान की जा रही है। तदनुसार वर्तमान वाद वादी द्वारा वापिस लिए जाने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल रिकार्ड हो।
	सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)भादरा